रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.)-73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 142] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 22, 1986/चैत्र 1, 1908

No. 142] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 22, 1986/CHAITRA 1, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 7 मार्च, 1986

आदेश

सा०का०नि० 519(अ) :—नियंत्रक महालेखा परीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (1971 का 56) की धारा 10 की उपधारा (1) के तीसरे परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति ने नियंत्रक महालेखा परीक्षक से विचार-विमर्श करने के पश्चात्, एतद्द्वारा नियंत्रक महालेखा परीक्षक को बिहार राज्य सरकार के कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते रखने की जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया है।

2. यह आदेश 1986-87 के लेखाओं से प्रभावी होगा।

राष्ट्रपति के नाम और आदेश से।

[सं० एफ० 1(3)-बी (ए०सी०)/86]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

New Delhi, the 7th March, 1986

ORDER

G.S.R. 519(E).—In exercise of the powers conferred by the third proviso to sub-section (1) of section 10 of the Comptroller and Auditor-General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971 (56 of 1971), the President, after consultation with the Comptroller and Auditor-General, hereby relieves the Comptroller and Auditor-General from the responsibility for keeping the Provident Fund Accounts of employees of the Government of the State of Bihar.

2. This order shall come into force with effect from the accounts of 1986-87.

By order and in the name of the President.

[No. F. 1(3)-B(AC)|86]

(बजट प्रभाग)

नई दिल्ली, 11 मार्च, 1986

आदेश

सा०का०नि० 520(अ) —भारत सरकार का दिनांक 18 सितम्बर, 1985 का आदेश, जो भारत के असाधारण राजपत्र के भाग II, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में 25 सितम्बर, 1985 को प्रकाशित हुआ था, जिसके अन्तर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को जम्मु और कश्मीर सरकार के कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि खातों (वरिष्ठ) को रखने के उत्तरदायित्व से मुक्त किया गया था, लेखा वर्ष 1985-86 की बजाय लेखा वर्ष 1986-87 से प्रवृत्त होगा, जैसा पुर्वोक्त आदेश के पैराग्राफ 2 में उल्लिखित है।

राष्ट्रपति के नाम और आदेश से।

[संख्या एफ० 1(36)-बी(ए०सी०)/85]

(Budget Division)

New Delhi, the 11th March, 1986

ORDER

G.S.R. 520(E).—Government of India Order dated the 18th September, 1985 published in Part II, Section 3, Sub-Section (i) of Extraordinary Gazette of India of 25th September, 1985, relieving the Comptroller and Auditor General of India from the responsibility for keeping the General Provident Fund (Superior) Accounts of employees of the Government of the State of Jammu and Kashmir will come into force with effect from the accounts of 1986-87 instead of the account of 1985-86 as mentioned in paragraph 2 of the aforesaid order.

By order and in the name of the President.

[No. F. 1(36)-B(AC)/85]

नई दिल्ली, 17 मार्च, 1986

आदेश

सा०का०नि० 521(अ) :—आदेश संख्य एफ०1 (3) बी (ए०सी०)/86 दिनांक 7-3-1986 के पैरा 2 के स्थान पर जिसके द्वारा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को बिहार राज्य सरकार के कर्मचारियों के भविष्य निधि खातों के लेखा पालन के उत्तरदायित्व से मुक्त किया गया था, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

2. "यह आदेश पहली अप्रैल, 1986 से प्रवृत्त होगा।"

राष्ट्रपति के नाम से उनके आदेश के द्वारा।

[संख्या एफ० 1(3)-बी-(ए०सी०)/86]

के० एस० शास्त्री, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 17th March, 1986

ORDER

G.S.R. 521(E).—Para 2 of the Order No. F. 1(3)-B(AC)/86 dated 7-3-1986 relieving the Comptroller & Auditor-General of India from the responsibility for keeping the Provident Fund Accounts of the employees of the Government of the State of Bihar, shall be substituted by the following :—

2. "This order shall come into force with effect from the 1st April, 1986."

By order in the name of the President.

[No. F. 1(3)-B(AC)/86]

K. S. SASTRY, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986